

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 396/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25

स्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल --दोवनी.....)

क्र.स..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दोवनी	45	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>अमरी पति उदयराम गाडरी सा. देह बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाना</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>अमरी पति उदयराम गाडरी सा. देह राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धमाना</p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयान अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ---दोवनी-----प.ह.----- -----दोवनी----- खातासं45..... में वर्तमान प्रविष्टि बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर पिरसकर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	<p>पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>सहायक कलक्टर</p>

पटवार हल्कन...
तह.कपासन, जिला: चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला: चित्तौड़गढ़